

दिनांक 20.07.2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:- संलग्न सूची के अनुसार।

दिनांक 20.07.2023 को अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत मध्याह्न 12.00 पर मानस सभागार, कलेक्ट्रेट, औरैया में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्न बिंदुओं पर समीक्षा की गयी।

एजेण्डा बिंदु संख्या:- 1

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज-2 एवं 3 के कार्यों की समीक्षा।

जनपद औरैया में JJM फेज-2 व 3 के कार्यों को कराये जाने हेतु तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से अनुबंधित एजेंसी मै0 द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी लि0 एवं मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0 को क्रमशः 151 एवं 574 राजस्व ग्राम आवंटित किये गये हैं। अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया, कि अद्यतन तक मै0 द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी लि0 द्वारा स्वीकृत 97 परियोजनाओं के सापेक्ष 90 पेयजल परियोजनाओं (सम्मिलित 140 राजस्व ग्राम) पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। जिसमें 78 नलकूप विकसित कर 45 परियोजनाओं का ट्रायल रन करते हुये 11 पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामवासियों को नियमित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 61 अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर है। जिसके सापेक्ष 21 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लक्षित 719.00 किमी वितरण प्रणाली के सापेक्ष 513.00 किमी वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण है। मार्च 2024 तक लक्षित 45652 गृह संयोजनों के सापेक्ष 32527 गृह संयोजनों का कार्य कराया गया है। अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि अद्यतन तक मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0 द्वारा 227 पेयजल परियोजनाओं (सम्मिलित 479 राजस्व ग्राम) पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। जिसमें 106 नलकूप विकसित कर 04 परियोजनाओं का ट्रायल रन करते हुये पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामवासियों को नियमित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध की जा रही है। साथ ही 173 अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर है। जिसके सापेक्ष 02 अवर जलाशय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 1772.62 किमी वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण है। मार्च 2024 तक लक्षित 176065 गृह संयोजनों के सापेक्ष 56226 गृह संयोजनों का कार्य कराया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदया द्वारा दोनों फर्मों को निर्देशित किया, कि लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्यों में मानव संसाधनों एवं आवश्यक उपकरणों को बढ़ाने के

साथ-साथ कार्यों को गुणवत्तापूर्वक समयान्तर्गत कराते हुये ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अधिकांश अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया, कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार जिला को प्रदर्शन मापने हेतु जिलों को गृह संयोजन उपलब्ध कराने के आधार पर पांच श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दिनांक 04.06.2023 को जनपद औरैया ने 50.06 प्रतिशत गृह संयोजन उपलब्ध कराते हुये चतुर्थ श्रेणी "Performers" से तृतीय श्रेणी "Achievers" का स्थान प्राप्त किया। अद्यतन तक जनपद औरैया में 57.99 प्रतिशत गृह संयोजन किये जा चुके हैं। साथ ही जनपद औरैया ने भौतिक प्रगति, जलगुणवत्ता एवं संस्थागत व्यवस्था के आधार पर पूर्णांक 100 अंक में 73.7530 अंक प्राप्त किये। समिति को अवगत कराया गया, कि जिन जिलों में 75 प्रतिशत से अधिक गृह संयोजन दिये जा चुके हैं, उन जिलों को अप्रैल 2023 के उपरान्त Har Ghar Jal (HGJ) Certification कराने हेतु 20 अंकों का महत्व दिया जायेगा। जिस पर जिलाधिकारी महोदया ने निर्देशित किया, कि जनपद को द्वितीय श्रेणी "High Achievers" को प्राप्त करने हेतु ग्रामों में जल्द से जल्द जल संयोजन प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, साथ ही जल से संतृप्त योजनाओं को Har Ghar Jal (HGJ) से प्रमाणित कराया जाये।

(कार्यवाही अधिकांश अभियन्ता जल निगम (ग्राम), मै० द इण्डियन ह्यूम पाइप क०लि०,
मै० जी०वी०पी०आर० इंजी०लि०)

एजेण्डा बिंदु संख्या:- 2

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चयनित आईएसए, आईईसी संस्थाओं द्वारा की जा रही गतिविधियों की समीक्षा-

- 01 आई.एस.ए.- अधिकांश अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया, कि जनपद-औरैया में आई०एस०ए० कार्य हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र सं०- 2405/W-314/JJM-ISA/2020-21, दिनांक- 25, जनवरी 2021 द्वारा "A" कैटेगरी की कुल 02 आई०एस०ए० संस्थाओं (KRASHI EVAM SHAIKSHIK PRABANDH SANSTHAN, LUCKNOW & OXFORD SHIKSHA PRASAR SANSTHAN, KANNAUJ) को नामित किया गया है। उक्त के अनुपालन में विकास खण्ड- औरैया, अजीतमल एवं भाग्यनगर में ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान को कलस्टर संख्या 01, 02, 03, 04, 11 एवं 12 के माध्यम से 236 ग्राम पंचायत एवं विकास खण्ड- बिधूना, सहार, अछलदा व एरवाकटरा में कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान को कलस्टर संख्या 05, 06, 07, 08, 09 एवं 10 कलस्टर के माध्यम से 241 ग्राम पंचायत आवंटित किये गये थे।



संस्थाओं को विकास खण्डवार क्लस्टर आवंटन

क्र० सं०	संस्था का नाम	क्लस्टर सं०	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत की सं०	राजस्व ग्राम की सं०
1	ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान	01	औरैया	40	62
		02	औरैया	30	53
		03	अजीतमल	43	69
		04	भाग्यनगर	51	97
		11	अजीतमल	25	35
			भाग्यनगर	22	31
		12	औरैया	25	32
2	कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान	05	बिधूना	42	66
		06	अछल्दा	35	61
			ऐरवाकटरा	09	11
		07	सहार	31	49
		08	ऐरवाकटरा	37	75
		09	सहार	34	45
		10	अछल्दा	26	45
			बिधूना	27	38
	कुल			477	769

दोनों आईएसए संस्थाओं को निर्देशित किया गया, कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में गठित ग्राम पंचायत को उप समिति अर्थात ग्राम जल व स्वच्छता समिति/पानी समिति के ग्राम प्रधान (अध्यक्ष) एवं ग्राम पंचायत सचिव (उपाध्यक्ष) की अध्यक्षता में समिति के समस्त सदस्यों के साथ साप्ताहिक बैठक करेगी और बैठक में जल आपूर्ति का आयोजन, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रखरखाव से सम्बन्धित लिये गये निर्णयों को डी.डब्ल्यू.एस.एम. के सचिव/अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करेगी। जनपद में चल रहे जल जीवन मिशन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु ग्राम स्तर एवं मिशन के अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं के सभी स्तरों जैसे- एफटीके के माध्यम से जल नमूनों की जांच, तकनीकी प्रशिक्षण हेतु चयन किये जा रहे परीक्षणार्थी इत्यादि पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी कराना सुनिश्चित करें। जितना महत्वपूर्ण पेयजल हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण उन संरचनाओं का बेहतर तरीके से प्रयोग करना भी जरूरी है। अतः निर्देशित किया गया, कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में ग्राम जल व स्वच्छता समिति/पानी समिति को सार्थक एवं समर्थ बनाया जाये, साथ ही समिति के साथ एफ.एच.टी.सी. की आवश्यकता का मूल्यांकन कर एफ.एच.टी.सी. प्राप्त करने हेतु समुदाय को प्रेरित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), डीपीएमयू, औरैया, मै० ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान, मै० कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्धन संस्थान)



02- मै0 जय काली सेवा समिति एवं मै0 जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एवं एजुकेशनल ट्रस्ट- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया, कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत हितग्राहियों के क्षमता संवर्धन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा मै0 जय काली सेवा समिति, लखनऊ को चयनित किया गया है। संस्था द्वारा निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों शासकीय कर्मचारियों (यथा ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, रोजगार सेवक, लेखपाल, जिला पंचायत सदस्य तथा सामाजिक अभिरुचि रखने वाले नागरिक) का विकास खण्ड स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अद्यतन तक संस्था द्वारा विकास खण्ड एरवाकटरा, अछल्दा एवं बिधूना में हितग्राहियों के क्षमता संवर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण कराये गये हैं, जबकि विकास खण्ड भाग्यनगर एवं सहार में प्रशिक्षण का कार्य संचालित किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम योजनान्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा चयनित एजेंसी मै0 जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एवं एजुकेशनल ट्रस्ट, महाराजगंज को जनपद की समस्त ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम में एफ.एच.टी.सी. के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल तथा जल जनित बीमारियों से बचाव हेतु निम्नांकित 12 जनजागरूकता कार्यक्रम/गतिविधियों को तीन चरणों में पूर्ण कराया जाना है।

प्रथम चरण की गतिविधियां:-

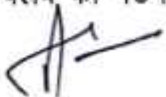
1. पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यशाला का आयोजन/जनपद स्तर/विकास खण्ड स्तर/ग्राम पंचायत स्तर के मुख्यालयों पर फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल तथा जल जनित बीमारियों से बचाव हेतु जनजागरूकता कार्यशाला का आयोजन।
2. जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों में पांच पेयजल स्रोतों की जांच हेतु जागरूकता तथा स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम से व्यवहार परिवर्तन करना।
3. जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थलों (यथा-पंचायत भवन, प्राथमिका पाठशाला, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर) एवं ब्लाक जनपद स्तर के मुख्यालयों पर पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी वाल राइटिंग एवं ग्रेफिटी पेंटिंग।

द्वितीय चरण की गतिविधियां:-

1. जनपद में समस्त राजस्व ग्राम, पंचायत स्तर के सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल एवं स्वच्छता मेले का आयोजन।
2. जनपद में समस्त राजस्व/ग्राम पंचायत स्तर के सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कल्चरल एवं एक्टिविटी प्रोग्राम।
3. जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म प्रदर्शन/वीडियो शो प्रदर्शन।

तृतीय चरण की गतिविधियां:-

1. जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों के प्राथमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता क्लब का गठन एवं ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन।



2. जनपद की समस्त ग्राम पंचायत स्तर के संचालित समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम।
3. जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन।
4. जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की बैठक एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम।
5. जनपद की समस्त राजस्व ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य एवं सफाई हेतु विभिन्न रंगों के माध्यम से सामाजिक मानचित्रण द्वारा सोशल मैपिंग कार्यक्रम।
6. प्रदर्शनी-सार्वभौमिक (एफ0एच0टी0सी0) कवरेज, शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल तथा जल जनित बीमारियों से बचाव हेतु जनपद के समस्त राजस्व ग्राम पंचायत स्तर पर जनमानस के मध्य पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी प्रदर्शनी कार्यक्रम।

उपरोक्त गतिविधियों में प्रथम चरण की गतिविधियों को पूर्ण कराया जा चुका है एवं द्वितीय चरण की गतिविधियों को कराये जाने की कार्यवाही की जानी है।

जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया, कि समस्त चयनित आई0एस0ए0, आई0ई0सी0 एवं पी0आर0आई0 संस्थाओं में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पर्याप्त मानव संसाधन को बढ़ाते हुये समस्त गतिविधियों को ससमय पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण),
डी.पी.एम.यू., औरैया, मै0 जय काली सेवा समिति एवं
मै0 जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एवं एजूकेशनल ट्रस्ट)

एजेण्डा बिंदु संख्या:- 3

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज-2 एवं 3 के कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया, कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीय फेज में 97 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 97 भूमि एवं तृतीय फेज में 278 पेयजल योजनाओं हेतु चाही गयी 315 भूमि प्राप्त की जा चुकी है। परन्तु कुल प्राप्त 412 भूमि में 20 भूमि ऐसी भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है एवं 05 कार्य स्थलों पर भूमि विवाद तथा 06 कार्य स्थलों पर बोर उपरान्त पेयजल योजना जल प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त 37 भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

तहसील औरैया-

Sr. No.	Name of Firm	BLOCK	GRAM PANCHAYAT	Remarks
1	GVPR	Auraiya	Nigda	निर्माण हेतु भूमि पर्याप्त नहीं।
2	GVPR	Auraiya	Panhar	निर्माण हेतु भूमि पर्याप्त नहीं।
3	GVPR	Bhagyanagar	Kakrahi	निर्माण हेतु भूमि पर्याप्त नहीं।
4	GVPR	Bhagyanagar	Bharrapur	तालाब/गहराई में भूमि दिये जाने के कारण निर्माण कार्य सम्भव नहीं।
5	GVPR	Auraiya	Juhikha	तालाब/गहराई में भूमि दिये जाने के कारण निर्माण कार्य सम्भव नहीं।
6	GVPR	Auraiya	Siholi	पहुंच मार्ग नहीं है।
7	GVPR	Bhagyanagar	Parwaha	पहुंच मार्ग नहीं है।



तहसील अजीतमल-

Sr. No.	Name of Firm	BLOCK	GRAM PANCHAYAT	Remarks
1	GVPR	Ajitmal	Ballapur	पहुंच मार्ग नहीं है।
2	GVPR	Ajitmal	Sauri Gariya	भूमि पर फलदार पेड़ लगे हैं। पेयजल हटाने हेतु जिला पनाधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, किंतु ग्रामवासियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है।
3	GVPR	Ajitmal	Beyora Navalpur	निर्माण हेतु भूमि पर्याप्त नहीं।
4	GVPR	Ajitmal	Sarai Tidua	ग्रामवासियों द्वारा पहुंच मार्ग को लेकर अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है।
5	IHP	Ajitmal	Satehri	उपलब्ध करायी गयी भूमि के ऊपर से हाईटेशन लाइन गुजरी है। अतः किसी भी अनावश्यक दुर्घटना घटित होने के दृष्टिगत कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया।

तहसील बिधुना-

Sr. No.	Name of Firm	BLOCK	GRAM PANCHAYAT	Remarks
1	GVPR	Bidhuna	Babina Sukhchainpur	पेयजल योजना निर्माण हेतु भूमि प्राथमिक स्कूल में दी गयी है। जिसमें स्कूल के प्रधानाध्यापक को आपत्ति है।
2	GVPR	Bidhuna	Sanwaliya	पहुंच मार्ग नहीं है।
3	GVPR	Bidhuna	Kursi	पेयजल योजना निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा गैरकानूनी रूप से अतिक्रमण किया गया है।
4	GVPR	Bidhuna	Bhadaura	तालाब/गहराई में भूमि दिये जाने के कारण निर्माण कार्य सम्भव नहीं।
5	GVPR	Bidhuna	Airwa Tikur	उपलब्ध करायी गयी भूमि के सापेक्ष ग्राम ऊँचाई पर स्थिति है। जिस कारण पेयजल योजना निर्माण कार्य कराना उचित नहीं है।
6	GVPR	Sahar	Patti Gyani Patti Torana	तालाब/गहराई में भूमि दिये जाने के कारण निर्माण कार्य सम्भव नहीं।
7	GVPR	Sahar	Lakhnon	तालाब/गहराई में भूमि दिये जाने के कारण निर्माण कार्य सम्भव नहीं।
8	GVPR	Sahar	Barau	उपलब्ध करायी गयी भूमि पर मा० सांसद जी द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है।
9	GVPR	Achhalda	Alpi	भूमि उपलब्ध नहीं।
10	GVPR	Achhalda	Lahtoriya	भूमि उपलब्ध नहीं।
11	GVPR	Achhalda	Lidhoura	पहुंच मार्ग नहीं है।
12	GVPR	Sahar	Kichaiya Gopalpur	पहुंच मार्ग नहीं है।
14	IHP	Bidhuna	Barahar	पेयजल योजना निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा गैरकानूनी रूप से अतिक्रमण किया गया है।
15	IHP	Bidhuna	Khan Jahanpur Chirkuan	भूमि उपलब्ध है, परन्तु लेखपाल द्वारा भूमि का सीमांकन नहीं किया जा रहा है।
16	IHP	Bidhuna	Barua	पेयजल योजना निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा गैरकानूनी रूप से अतिक्रमण किया गया है।
17	IHP	Bidhuna	Marha Machhijheel	पहुंच मार्ग नहीं है।
18	IHP	Achhalda	Rurukalan	तालाब/गहराई में भूमि दिये जाने के कारण निर्माण कार्य सम्भव नहीं।
19	IHP	Bidhuna	Marokh Miti	बोर कराने के उपरान्त उपलब्ध भूमि पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस कारण अन्यत्र स्थल का चयन किया जाना है।

20	IHP	Bidhuna	Jauhar	बोर कराने के उपरान्त उपलब्ध भूमि पर पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस कारण अन्यत्र स्थल का चयन किया जाना है।
21	IHP	Bidhuna	Lakhi	बोर कराने के उपरान्त उपलब्ध भूमि पर पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस कारण अन्यत्र स्थल का चयन किया जाना है।
22	IHP	Bidhuna	Barru Kulasar	बोर कराने के उपरान्त उपलब्ध भूमि पर पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस कारण अन्यत्र स्थल का चयन किया जाना है।
23	IHP	Sahar	Oron	बोर कराने के उपरान्त उपलब्ध भूमि पर पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस कारण अन्यत्र स्थल का चयन किया जाना है।
24	IHP	Achhalda	Garhwana	बोर कराने के उपरान्त उपलब्ध भूमि पर पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस कारण अन्यत्र स्थल का चयन किया जाना है।

जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया, कि अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) एवं दोनों फर्मों के प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलधिकारी से सम्पर्क कर भूमि सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण कराते हुये जल जीवन मिशन के अन्तर्गत शेष योजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण),
मै0 द इण्डियन ह्यूम पाइप क0लि0, मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0)

एजेण्डा बिंदु संख्या:- 4

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज-2 एवं 3 में किये जा रहे कार्यों में आ रही समस्याओं/चुनौतियों के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया, कि पेयजल योजनाओं हेतु यू.पी. पी.डब्ल्यू.डी. की स्वामित्व सड़कों पर वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान यू.पी. पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। वितरण प्रणाली के ट्रेन्च हेतु खोदी गयी सड़क का पुनः रेस्टोरेशन किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया, कि जल निगम ग्रामीण एवं यू.पी. पी.डब्ल्यू.डी. समन्वय बनाते हुये उ0प्र0 शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप वितरण प्रणाली बिछाने के उपरान्त सड़क की पुनर्स्थापना का कार्य कराया जाये। साथ ही बीएसएनएल, गेल, टोरेंट, एच.पी.सी.एल. की स्वामित्व वाले कार्य स्थलों पर कार्य कराने से पूर्व उचित अनुमति प्राप्त करने हेतु "Call Before You Dig" Mobile Application का प्रयोग करें।

एजेण्डा बिंदु संख्या:- 5

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया, कि तृतीय फेज में चयनित फर्म मै0 जीवीपीआर इंजी0लि0 को तहसील बिधूना के ग्राम बवीना सुखचैनपुर में शिक्षा विभाग की भूमि पर निर्माण कार्य कराना है। जिसकी अनुमति शिक्षा विभाग से नहीं ली गयी है। अतः जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया, कि फर्म मै0 जीवीपीआर इंजी0लि0 को जल



निगम ग्रामीण कार्यालय के माध्यम से उचित कार्यवाही करते हुये पेयजल योजना निर्माण हेतु शिक्षा विभाग की भूमि की स्वीकृति प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही मै0 द इण्डियन ह्यूम पाइप क0लि0, मै0 जीवीपीआर इंजी0लि0 डीपीएमयू, औरैया)

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
औरैया

पत्रांक ; 803 / W- 35

दिनांक: 31/12/2023

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, औरैया (अध्यक्ष)।
2. मुख्य विकास अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
3. जिला विकास अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
4. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया, औरैया (सदस्य)।
7. जिला कृषि अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
8. क्षेत्रीय वनाधिकारी औरैया स्वयं या उनके द्वारा नामित (सदस्य)।
9. अधिशाली अभियन्ता लघु सिंचाई, इटावा (सदस्य)।
10. अधिशाली अभियन्ता जल निगम, औरैया (सदस्य सचिव)।
11. द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी (लि0) हाउस नं0 6-3-323, रामनगर, अनन्तपुरम, आ.प्रदेश।
12. मै0 जी.वी.पी.आर. इंजीनियर्स लि0, हैदराबाद-500033 तेलंगाना।
13. जिला समन्वयक, मेधज टैक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, औरैया।
14. जिला परियोजना प्रबन्धक, बी.एल.जी. कं0 सर्विसेज प्रा0लि0, औरैया।
15. मै0 भावसर फाउण्डेशन, मयूर विहार, नई दिल्ली।
16. मै0 ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान, मुहल्ला तिवारियान, छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।
17. मै0 कृषि एवं शैक्षिक प्रबंधन संस्थान एल-3, एच.आई.जी. कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ।
18. मै0 जय काली सेवा समिति, लखनऊ।
19. मै0 जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एवं एजुकेशनल ट्रस्ट, महाराजगंज।

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
औरैया

निगम ग्रामीण कार्यालय के माध्यम से उचित कार्यवाही करते हुये पेयजल योजना निर्माण हेतु शिक्षा विभाग की भूमि की स्वीकृति प्रदान करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही मै0 द इण्डियन ह्यूम पाइप क0लि0, मै0 जीवीपीआर इंजी0लि0 डीपीएमयू, औरैया)

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
औरैया

पत्रांक 1803/4 - 35 1223 दिनांक: 31/12/2023
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, औरैया (अध्यक्ष)।
2. मुख्य विकास अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
3. जिला विकास अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
4. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया, औरैया (सदस्य)।
7. जिला कृषि अधिकारी, औरैया (सदस्य)।
8. क्षेत्रीय वनाधिकारी औरैया स्वयं या उनके द्वारा नामित (सदस्य)।
9. अधिशाली अभियन्ता लघु सिंचाई, इटावा (सदस्य)।
10. अधिशाली अभियन्ता जल निगम, औरैया (सदस्य सचिव)।
11. द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी (लि0) हाउस नं0 6-3-323, रामनगर, अनन्तपुरम, आ.प्रदेश।
12. मै0 जी.वी.पी.आर. इंजीनियर्स लि0, हैदराबाद-500033 तेलंगाना।
13. जिला समन्वयक, मेधज टैक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, औरैया।
14. जिला परियोजना प्रबन्धक, बी.एल.जी. कं0 सर्विसेज प्रा0लि0, औरैया।
15. मै0 भावसर फाउण्डेशन, मयूर विहार, नई दिल्ली।
16. मै0 ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान, मुहल्ला तिवारियान, छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।
17. मै0 कृषि एवं शैक्षिक प्रबंधन संस्थान एल-3, एच.आई.जी. कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ।
18. मै0 जय काली सेवा समिति, लखनऊ।
19. मै0 जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एवं एजुकेशनल ट्रस्ट, महाराजगंज।


अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
औरैया